न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 63/2019

1. राजेश कुमार पुत्र श्री महताब सिहं जाति जाट निवासी जलालपुर कलां तहसील व जिला जिन्द (हरियाणा) हाल मैनेजर नीतू मुर्गी फार्म कुतुबपुरा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू।

—— आवेदक

बनाम

1. प्रमोद कुमार ए.एस.आई. पुलिस थाना, मण्ड्रेला, तहसील चिड़ावा हाल थानाधिकारी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
2. जगदीश प्रसाद गौड़, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चिड़ावा जिला झुंझुनू।

—— अनावेदकगण

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद रफीक – अभिभाषक – आवेदक की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक – अनावेदकगण 1 व 2 की ओर से।

– – –

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा उनवानी सरकार बनाम राजेश कुमार, मुकदमा नम्बर 04/2018, अ.धारा. 133 सी.आर.पी.सी. न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट चिड़ावा।

– – –

आदेश

दिनांक 21.08.2019

उक्त विषयक प्रार्थना पत्र आवेदक ने विरूद्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट चिड़ावा के बाबत किये जाने स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 04/2018 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त उनवानी मुकदमा अनावेदक संख्या 1 ने ग्राम कुतुबपुरा में आवेदक की कम्पनी नीतू मुर्गी फार्म की शाखा कुतुबपुरा में संचालित मुर्गी फार्म के विरूद्ध ग्राम कुतुबपुरा के लोगो द्वारा किये जा रहे विधि विरूद्ध धरना प्रदर्शन से राजनैतिक दबाव में आकर प्रार्थी की फर्म के विरूद्ध प्रस्तुत किया था उक्त प्रकरण में बिना पक्षकार होते हुऐ भी ग्राम कुतुबपुरा के व्यक्ति जो कि राजनैतिक पहुंच रखने वाले है उक्त लोग उपखण्ड कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री कैलाशचन्द्र कविया की मार्फत पैरवी कर रहे है जिसकी प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से कतई न्याय की आशा नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, चिड़ावा में श्री कैलाश चन्द्र कविया सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। जिसका ननिहाल ग्राम कुतुबपुरा में है तथा उक्त श्री कैलाश चन्द्र कविया बचपन से ही अपने ननिहाल में ही रहा है क्योंकि श्री कैलाश चन्द्र कविया की माता अपने गांव में ही बस गई थी। उक्त कैलाश चन्द्र कविया ही उक्त प्रकरण में ग्रामवासियों की ओर से पैरवी कर रहे है। दिनांक 05.04.2019 को श्री कैलाश चन्द्र कविया एवं श्री गोपीचन्द जांगिड़ जो कि ग्राम कुतुबपुरा के निवासी है श्रीमान

जिला कलैक्टर झुन्झुनू

उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय, चिड़ावा के कक्ष से बाहर निकलकर आये व आपस में बातचीत कर रहे थे कि उक्त प्रकरण में आपकी बात करवा दी है और प्रकरण में निर्णय को आपके हक में करवा दूंगा और उक्त दोनों आपस में जिस तरह से बात कर रहे थे उससे स्पष्ट हो रहा है कि उक्त प्रकरण में श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय, चिड़ावा के यहां न्याय प्रभावित होगा। परिवाद अ.धारा में जो प्रकिया अपनाई जाती है उसका अनुसरण नहीं हो रहा है। उक्त पीठासीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र कविया सहायक प्रशासनिक अधिकारी से मिली – भगत की हुई है तथा आवेदक को न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर अदालत मातहत में विचाराधीन प्रकरण उनवानी सरकार बनाम राजेश कुमार मु.न. 04/2018 अ.धारा. 133 सी.आर.पी.सी. को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तिरित करने का आदेश फरवाया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट चिड़ावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट चिड़ावा ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निराधार बताते हुये प्रकरण सरकार बनाम राजेश कुमार मु0न0 04/18 अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर अपनी कोई आपति नही होना अंकित किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को अदालत मातहत से न्याय की आशा नहीं है। अतः पत्रावली अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र निराधार व मंनगढत तथ्यों पर आधारित है जो खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपति नही होना बताया है। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो । इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुकदमा 04/2018 उनवानी सरकार बनाम राजेश कुमार अन्तर्गत धारा 133 सी.आर.पी.सी. न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट चिड़ावा के न्यायालय से उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी में स्थानानतरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट चिड़ावा मुकदमा 04/2018 उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालयों को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू